



## CBA अधिनियम, 1957 के तहत अर्जति भूमि के उपयोग हेतु नीति

### प्रलिस के लयः

CBA अधिनियम, आत्मनरिभर भारत, कोयला गैसीकरण

### मेन्स के लयः

कोयला क्षेत्र एवं संबधति चुनौतयँ

## चरचा में कयँ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला क्षेत्र (अधगिरहण एवं वकिस) अधिनियम, 1957 [CBA अधिनियम] के तहत अधगिरहीत भूमि के उपयोग हेतु नीतिको मंजूरी दी है।

- इस नीति में कोयला एवं ऊरजा से संबधति बुनयिदी ढाँचे के वकिस और स्थापना के उद्देश्य से ऐसी भूमि के उपयोग का प्रावधान है।

## CBA अधिनियम, 1957:

- कोयला क्षेत्र (अधगिरहण और वकिस) अधिनियम, 1957 में कोयले के भंडार वाली या संभावति भूमि के अधगिरहण और उससे जुड़े मामलों का प्रावधान है।
- इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सरकारी कंपनयँ द्वारा केवल कोयला खनन एवं खनन उद्देश्यों के लयि प्रासंगकि गतविधियँ हेतु भूमिका अधगिरहण कयि जाता है।
- अन्य आवश्यकताओं जैसे- स्थायी आधारभूत संरचना, कार्यालय, नविस आदि के लयि भूमि अधगिरहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमिका अधगिरहण कयि जाता है।
- वभिन्न अधिनियमों के तहत खनन अधिकार एवं भूमि के अधिकार का अधगिरहण नहीं कयि जा सकता है।

## प्रस्तावति नीतिके प्रावधान कय है?

- भूमि उपयोग हेतु रूपरेखा:**
  - यह नीति CBA अधिनियम के तहत अधगिरहीत नमि प्रकार की भूमि के उपयोग के लयि स्पष्ट नीतगित ढाँचा प्रदान करती है:
    - कोयला खनन गतविधियँ के लयि भूमि अब उपयुक्त या आर्थकि रूप से व्यवहार्य नहीं है; या
    - जनि भूमि क्षेत्रों से समग्र कोयला निकाला लयि गया है।
- कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के पास भूमिका स्वामतिव बरकरार रहेगा:**
  - सरकारी कोयला कंपनयँ, जैसे- कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और इसकी सहायक कंपनयँ CBA अधिनियम के तहत अधगिरहीत इन भूमि की मालकि बनी रहेंगी।
- नरिदष्टि अवधिके लयि भूमिको पट्टे पर देना:**
  - जसि सरकारी कंपनी के पास भूमि है, वह ऐसी भूमिको नीतिके तहत दी गई वशिष्टि अवधिके लयि पट्टे पर दे सकेगी।
  - लीजगि हेतु संस्थाओं का चयन एक पारदर्शी, नषिपक्ष और प्रतसिपरद्धी बोली प्रकरयि तथा तंत्र के माध्यम से कयि जाएगा ताकि इष्टतम मूल्य प्राप्त कयि जा सके।
  - भूमिको **वाशरीज़ (Washeries)**, **कोयला गैसीकरण** और कोयले-से-रासायनकि संयंत्रों की स्थापना तथा ऊरजा से संबधति बुनयिदी ढाँचे की स्थापना करने जैसी गतविधियँ के लयि वचिर कयि जाएगा।

## नीतिका महत्त्व:

### ■ रोज़गार उत्पन्न करना:

- सरकारी कंपनियों से स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना विभिन्न कोयला और ऊर्जा संबंधी बुनियादी ढाँचे की स्थापना से बड़ी संख्या में **प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष** रोज़गार का सृजन होगा।
  - जिन भूमिका खनन किया गया है या जो कोयला खनन के लिये व्यावहारिक रूप से अनुपयुक्त हैं, उन पर **अनधिकृत अतिक्रमण तथा सुरक्षा एवं रखरखाव पर परहार्य व्यय** का खतरा है।

### ■ ऑपरेटर की लागत को कम करना:

- अन्य उद्देश्यों के लिये **गैर-खनन योग्य भूमिका उपयोग से भी सीआईएल (CIL) को अपने संचालन** की लागत को कम करने में मदद मिलेगी क्योंकि यह कोयले से संबंधित बुनियादी ढाँचे और अन्य परियोजनाओं जैसे- नजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में अलग-अलग बिजनेस मॉडल अपनाकर अपनी ज़मीन पर सोलर प्लांट को स्थापित करने में सक्षम होगा।
- यह कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाएगा क्योंकि कोयले को दूर स्थानों पर ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

### ■ भूमिका उचित उपयोग सुनिश्चित करना:

- **पुनर्वास उद्देश्य के लिये भूमिका उपयोग करने का प्रस्ताव; भूमिका उचित उपयोग सुनिश्चित करेगा**, महत्त्वपूर्ण भूमि संसाधन के अपव्यय को समाप्त करेगा, परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिये नए भूखंडों के अधिग्रहण से बचाएगा तथा परियोजनाओं पर अतिक्रमण वित्तीय बोझ को समाप्त कर लाभ में वृद्धि करेगा।

### ■ वसिस्थापित परिवारों की मांग को संबोधित करना:

- यह वसिस्थापित परिवारों की मांग को भी पूरा करेगा क्योंकि वे हमेशा अपने **मूल आवासीय स्थानों करीब रहना पसंद** करते हैं।
- इससे कोयला परियोजनाओं के लिये स्थानीय समर्थन प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी तथा यह राज्य सरकार द्वारा कोयला खनन के लिये दी गई वन भूमिका बदले में राज्य सरकार को वनरोपण के लिये भूमि उपलब्ध कराएगा।

### ■ आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में सहायक:

- यह नीति घरेलू वनिर्माण को प्रोत्साहित कर,, आयात निर्भरता को कम कर, रोज़गार सृजन आदि द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद करेगी।
  - यह नीति विभिन्न कोयला और ऊर्जा अवसंरचना विकास गतिविधियों हेतु भूमिका उपयोग कर देश के पछिड़े क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करेगी।
  - पहले से अधिग्रहीत भूमिका उपयोग से भूमिका नए अधिग्रहण और संबंधित वसिस्थापन को भी रोका जा सकेगा जिससे स्थानीय वनिर्माण एवं उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न:

### प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

1. इंदिरा गांधी सरकार में भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
2. वर्तमान में लाटरी के आधार पर कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया जाता है।
3. अब तक भारत घरेलू आपूर्तिकी कमी को पूरा करने के लिये कोयले का आयात करता था, लेकिन अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है।

### उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

### उत्तर: (a)

- वर्ष 1972 में इंदिरा गांधी सरकार के तहत कोयला क्षेत्र का दो चरणों में राष्ट्रीयकरण किया गया था। **अतः कथन 1 सही है।**
- कोयला ब्लॉकों का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जाता है, न कलॉटरी के आधार पर। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**
- कोयला क्षेत्र भारत में एकाधिकार क्षेत्र है। भारत के पास विश्व का 5वाँ सबसे बड़ा कोयला भंडार है, लेकिन एकाधिकार प्राप्त फर्मों की कोयला उत्पादन अक्षमता के कारण कोयले की घरेलू आपूर्तिकी कमी को पूरा करने के लिये यह कोयले का आयात करता है। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**

## स्रोत: पी.आई.बी.

